न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2024(GCMS 2024/104)
(आरटीआई संख्या 212609811589987)

श्री धर्मपाल पुत्र श्री बुधराम जाति बिश्नोई वार्ड नं. 2, गांव मानकसर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.), पिन नं. 335804 मोबाईल नम्बर 99503–13776 Email – dp9950313776@gmail.com

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी धर्मपाल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2024 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री धर्मपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.02.24 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न 03 बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

1. आपके अधीन ब्लॉक सूरतगढ़ में जिन जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित है, को प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावें।
2. ट्रांसफर व रिटायरमेंट के बाद नियमों के विरूद्ध सरकारी आवास खाली नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
3. सरकारी आवास आवंटन के सम्बन्ध में आपके द्वारा गठित कमेटी की पिछले 5 सालों की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:34 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ ने अपने पत्रांक रीडर/2024/467 दिनांक 24.07.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के साथ प्राप्त अपीलार्थी धर्मपाल के प्रा. पत्र दिनांक 20.02.2024 के संदर्भ में की गई अपील के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

1. प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के बिन्दु संख्या 1 में जिन–जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की आवास आवंटन की सूचना चाही गई है, जो संकलित करने की श्रेणी की है, जो देय नहीं है।
2. स्थानांतरण/सेवानिवृति के बाद नियम विरूद्ध सरकारी कर्मचारियों से आवास खाली कराने व कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही भी संकलित करने की श्रेणी की है जो सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
3. राजकीय आवास आवंटन के संबंध में गठित कमेटी की पिछले 5 वर्षों की रिपोर्ट की प्रति का यह बिन्दु भी उपरोक्त श्रेणी का है। प्रार्थी द्वारा किसी भी सूचना के लिए किसी कर्मचारी का नाम, आवास संख्या, आवंटन आदेश का दिनांक अथवा कमेटी गठन क्रमांक अंकित नहीं किये जाने से कार्मिक द्वारा पूरी पत्रावली को अध्ययन करते हुए सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदक बाहय करने की मंशा से अपील की है जो भी सूचना चाही गई है वह संकलित करने की परिभाषा में आती है जो सूचना के अधिकार में लोक सूचना अधिकारी के लिए ग्राहय नहीं है। फिर भी आवेदन दिनांक 20.02.2024 के प्रत्युत्तरण में पूर्ण सूचना हेतु कार्यालय पत्रांक सू.अ./24/71 दिनांक 05.03.2024 से डाक टिकट लगा लिफाफा एवं प्रमाणित प्रतिलिपि शुल्क के सम्बन्ध में सूचना देते हुए रिकॉर्ड का अवलोकन कार्यालय समय में करते हुए जो भी सूचनाएं वांछित है ले सकता है। सूचित किया गया था। प्रति संलग्न है।

उपरोक्त पत्र दिनांक 05.03.2024 से सूचित करने पर पुनः प्रा. पत्र दिनांक 05.04.2024 से यह अंकित किया कि पूर्व ब्लॉक में कर्मचारियों को आवंटित आवासों [illegible] किसी का नाम, पता, क्रमांक का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं [illegible] का आरोप लगाते हुए प्रा.प. प्रस्तुत करने पर कार्यालय कर्मचारी द्वारा प्रा.पत्र में दिये गये मो.न. 9950313776 पर कार्यालय फोन से सूचित किया गया कि पत्रावली का निरीक्षण कर जो भी सूचना चाहिए उसी दिन दे दी जावेगी उसके पश्चात आवेदक उपस्थित नहीं आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर सूरतगढ ने अपील को जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर, वांछित सूचना चाहे तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार देय सूचना उसे उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:34 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर